फर्द अहकाम

छोटेलाल वगै० बनाम राधाकिशन वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 139/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिए विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर आपसी कुरेजात वाटिका की जाती है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर उपरोक्त कुरेजात के वाद में तकासमा किया जाता है एवं वाद में बंटवारा किया जाता है व डिक्री विधिवत प्रपत्र में लिखी जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
139 / 2024	11 / 09 / 2024	26 / 06 / 2025

1. छोटूलाल पुत्र भोमाराम
2. जगदीश पुत्र भोमाराम
3. बाबूलाल पुत्र भोमाराम
4. रामजीलाल पुत्र भोमाराम
5. मनभर देवी पत्नि गोपीराम

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम सालेरी की ढाणी, मीणो का बाढ, नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र सुवालाल
2. रामकिशोर पुत्र सुवालाल
3. लालाराम पुत्र सुवालाल
4. सीताराम पुत्र सुवालाल
5. घीसी पत्नि सुवालाल
6. मनभरी देवी पुत्री सुवालाल
7. गीता देवी पुत्री सुवालाल
8. सावित्री देवी पुत्री सुवालाल
9. गुल्ला पुत्र प्रताप
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सालेरी की ढाणी, मीणो का बाढ, नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
11. उप पंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगए जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राकेश बाफलावत :– वकील वादीगण।
श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील प्रतिवादी सं0 8
श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 9

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री राकेश बाफलावत ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 1.2600है0 ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं रास्ते तथा कब्जेकाश्त को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 15.10.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिसे शामिल मिसल कर वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रेजता पर सुनी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपु

गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन कर व बहस का मनन कर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

...ा ...ा	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
	गुल्ला पुत्र प्रताप हि0 1/6 राहिन आईडीबीआई बैक लि0 शाखा गीला की नांगल, मनभर देवी पत्नी गोपीराम हि0 1/6 राहिन ज0था0ग्रा0बैक शाखा नायला, जगदीश, रामजीलाल, बाबूलाल, छोटूलाल पि0 भोमाराम हि0 5/12, रामकिशोर, राधाकिशन, लालाराम, सीताराम पि0 सुवालाल, मनभर देवी, गीता देवी, सावित्री देवी पुत्रीया सुवालाल, घीसी देवी पत्नि सुवालाल हि0 1/4 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार।	322	1.26	चाही 2	—
	योग	किता 1	1.2600	—	—

—: प्रस्तावित :—

...म ...ख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	गुल्ला पुत्र प्रताप हि0 1873/8430 राहिन आईडीबीआई बैक लि0 शाखा गीला की नांगल, मनभर देवी पत्नी गोपीराम हि0 1873/8430 राहिन ज0था0ग्रा0बैक शाखा नायला, जगदीश, रामजीलाल, बाबूलाल, छोटूलाल पि0 भोमाराम हि0 4684/8430 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार।	322/1 322/3 322/5	0.0620 0.2300 0.5510	चाही 2 चाही 2 चाही 2	—
	योग	किता 3	0.8430	—	—
2	रामकिशोर, राधाकिशन, लालाराम, सीताराम पि0 सुवालाल, मनभर देवी, गीता देवी, सावित्री देवी पुत्रीया सुवालाल, घीसी देवी पत्नि सुवालाल हि0ब0हि0 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार।	322/2	0.2810	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.2810	—	—
3.	शामलात	322/4	0.1360	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.1360	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ